3 बार जुर्माना लगा तो अधिकारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा करेगा आयोग: टी.सी. गुप्ता

आर.टी.एस. तहत अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

नारनौल, 6 अक्तूबर (विजय कौशिक): हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों को झंझट रहित तथा समयबद्ध सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिले। सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत हरियाणा के 31 विभागों की 546 प्रकार की सेवाएं सरकार ने नोटिफाइड की हैं। अगर अधिकारी निर्धारित समय पर काम नहीं करेंगे तो पहले उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उस अधिकारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा करेगा, जिस पर सरकार को 30 दिन में निर्णय लेना होता है। गुप्ता बुधवार को पंचायत भवन में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों तथा नागरिक समूह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए हरियाणा

अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा बैठक करते आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता।

में अब ऑटो अपील सिस्टम यानी आस लागू किया गया है। अब किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवा व योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसकी पैरवी अपने आप सिस्टम करेगा और उसके बाद भी अगर निर्धारित समय पर कार्य नहीं होता है तो उसकी अपील अपने आप एस.डी.एम., ए.डी.सी. तथा डी.सी. के पास होगी। इसके बाद भी निर्धारित समय पर काम नहीं होता है तो आयोग के समक्ष वह आवेदन अपने आप चला जाएगा। उसके बाद आयोग दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा।

गुप्ता ने कहा कि इस प्रणाली से आयोग हर कर्मचारी व अधिकारी पर नजर रखेगा। इसी प्रकार सभी सी.एस.सी. सैंटर पर भी फीस से संबंधित बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। कई जगह पर सी.एस.सी. केंद्र की ओर से अधिक फीस लेने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे सी.एस.सी. केंद्रों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 नवम्बर से पहले-पहले सभी लंबित आवेदनों का निपटान होना चाहिए।

बैठक में उपायुक्त अजय कुमार ने आगंतुकों का स्वागत किया। नगराधीश अमित कुमार ने पावर प्वाइंट प्रैजेंटेशन के माध्यम से जिले के विभागों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। अंत में अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन, डी.एम.सी. डा. जे.के. आभीर, भाजपा के जिला प्रधान राकेश शर्मा, मनीष मित्तल, पूर्व चेयरमैन गोविंद भारद्वाज व सत्यव्रत शास्त्री सहित अन्य नागरिक समूह मौजूद थे।

भगा दो नहीं, बता दो का फार्मूला अपनाएं: मीनाक्षी

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने पंचायत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि अब सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना रवैया बदलना होगा। अब भगा दो नहीं, बता दो के फार्मूले को अपनाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को सेवाएं व योजनाएं समय पर देने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे में अधिकारी बिना जुर्माने व दंडात्मक कार्रवाई के पहले ही अपना कार्य अच्छी प्रकार से करें।